संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2555507
Email:- ad.tkb@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/सम्पत्तिकर/2020/6500 भोपाल, दिनांकः 29/03/2020

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (म.प्र.)।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास, (म.प्र.)।
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिक/नगर परिषद, (म.प्र.)।

विषय : नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों द्वारा सम्पत्तिकर/जलकर/उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की राशि वसूली में दिनांक 30.04.2020 तक छूट दी जाती है।

संदर्भ : संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं. 6491 दिनांकः23.03.2020 ।

कृप्या विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20.03.2020 द्वारा मध्यप्रदेश हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 तथा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इसे संक्रामक रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) का फेलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से अत्यंत त्वंरित गति से होता है। मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये है।

2. उक्त स्थिति में कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फेलाव को रोकने के उद्देश्य एवं निर्मित असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP-06804-2020, अमित कुमार साहू विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के साथ संबद्ध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 एवं 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुये समस्त नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/ नगर परिषद् में सम्पत्तिकर/जलकर/उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) की राशि वसूलने की समय–सीमा में पूर्व में दी गई छूट दिनांक 30.04.2020 तक की जाती है, इसके साथ ही करों/प्रभार को वसूल करते समय यह ध्यान भी रखा जाये कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत् अनावश्यक बल प्रयोग ना किया जाये।

29/3/20
(तेजस्वी एस. नायक)
अपर आयुक्त

Scanned with Cam

363 012 01 7 75

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2555507
Email:- ad.tkb@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / सम्पत्तिकर / 2020 / 6501

भोपाल, दिनांकः 29 / 03 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त महापौर / अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी, नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद् / नगर परिषद्, म.प्र.।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, म.प्र.।
6. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कन्टेन्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, म.प्र. की ओर वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल हेतु।

29/3/20

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

Scanned with Cam